

मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता

वर्ष 2017-18 के दौरान (जनवरी तक), मौद्रिक नीति स्थिर बनी रही जिसमें अगस्त में केवल एक पॉलिसी दर में कटौती की गई। जैसे-जैसे नोटबंदी का वर्षानुवर्ष प्रभाव घटता गया, सं. चलन में मुद्रा और एम 0 दोनों की वृद्धि दरें तेजी से सकारात्मक हो गईं। लेकिन बैंक ऋण विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र को मिलने वाले बैंक ऋण की वृद्धि में मन्दी व्याप्त रही। इस बीच, 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की आय में सितंबर 2017 से स्थिरता आई है। वर्ष 2017-18 में शोधनअक्षमता और दिवालियापन की नई प्रक्रिया के लिए अर्थतंत्र बना। बैंकिंग क्षेत्र की अनर्जक आस्तियों की समस्या को सुलझाने के लिए आईबीसी तंत्र का सक्रिय प्रयोग किया जा रहा है। स्टॉक बाजार भी इस वित्त वर्ष में रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचे।

वर्ष 2017-18 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

3.1 वर्ष 2017-18 के दौरान मौद्रिक नीति 5 अगस्त, 2016 से लागू संशोधित सांविधिक फ्रेमवर्क के तहत संचालित की गई। इस लेख को लिखते समय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी थीं (जनवरी, 2018 तक)। अगस्त 2017 में जारी वर्ष 2017-18 के लिए तीसरे द्वैमासिक मौद्रिक नीति विवरण

में एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करके उसे 6.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। अक्टूबर में तथा दिसंबर में हुई अपनी हालिया बैठकों में एमपीसी ने इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। तदनुसार, तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.25 प्रतिशत बनी रही (सारणी-1)।

सारणी 1 : पॉलिसी दरों में संशोधन

लागू होने की तारीख	बैंक दर/ एमएसएफ दर* (प्रतिशत)	रेपो दर (प्रतिशत)	रिवर्स रेपो दर (प्रतिशत)	नकदी आरक्षित निधि अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)	सांविधिक नकदी अनुपात (एनडीटीएल का प्रतिशत)
05/04/16	7	6.5	6	4	21.25
09/08/16	7	6.5	6	4	21
04/10/16	6.75	6.25	5.75	4	20.75
08/02/17	6.75	6.25	5.75	4	20.5
06/04/17	6.5	6.25	6	4	20.5
07/06/17	6.5	6.25	6	4	20.5
02/08/17	6.25	6	5.75	4	20
14/08/17	6.25	6	5.75	4	19.5
04/10/17	6.25	6	5.75	4	19.5
06/12/17	6.25	6	5.75	4	19.5

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी*: 13 फरवरी, 2012 से बैंक दर को एमएसएफ दर के समान कर दिया गया है। एनडीटीएल-निवल मांग तथा मियादी देयताएं हैं।

1 # ब्योरे हेतु आर्थिक समीक्षा 2016-17 के अध्याय-3 का संदर्भ लें।

सारणी 2: मौद्रिक समुच्चयों में वर्षानुवर्ष वृद्धि (मार्चात, %)

क्र. सं.	मद	2011	2012	2013	2014	2015	2016	दिसंबर 2016 [#]	2017	दिसंबर 2017*
1	परिचलन में मुद्रा	18.8	12.4	11.6	9.2	11.3	14.9	-40.2	-19.7	80.4
2	बैंकों में नकदी	18	15.2	14.6	10.7	12.4	6.6	124.3	4.2	-48.3
3	जनता के पास मुद्रा	18.8	12.3	11.5	9.2	11.3	15.2	-47.6	-20.8	105.6
4	आरबीआई में बैंकों की जमा राशि	20.2	-15.9	-10	34	8.3	7.8	10.8	8.4	8.1
5	मांग जमा	0.7	-1.7	6	7.8	9.8	11	26.4	18.4	6.4
6	मियादी जमा	18.3	16.1	15	14.9	10.7	9.2	13.2	10.2	3.5
7	आरक्षित निधि (एम 0)	19.1	3.6	6.2	14.4	11.3	13.1	-28.9	-12.9	55.9
8	संकीर्ण मुद्रा (एम 1)	10	6	9.2	8.5	11.3	13.5	-18.9	-3.9	45.8
9	विस्तृत मुद्रा (एम 3)	16.1	13.5	13.6	13.4	10.9	10.1	6.2	6.9	10.5

स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी#: मद संख्या 1, 4 और 7 से संबंधित आंकड़े 30 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार हैं; शेष मदों से संबंधित आंकड़े 23 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार हैं।


*मद संख्या 1, 4 और 7 से संबंधित आंकड़े 29 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार हैं; शेष मदों से संबंधित आंकड़े 22 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार हैं।

3.2 पुनःमौद्रिकरण प्रक्रिया के अनुरूप वित्त वर्ष 2017-18 में 10 नवंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान आरक्षित निधि (एम0) में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर में आनुक्रमिक वृद्धि हुई किंतु यह ऋणात्मक बनी रही तथा पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम स्तर पर बनी रही जिससे विमुद्रीकरण का प्रभाव सुस्त तथा अपेक्षाकृत उत्तरोत्तर क्षीण होता हुआ दिखाई दिया (चित्र 1)। 17 नवंबर, 2017 से एक अनुकूल आधार प्रभाव प्रारंभ हुआ तथा परिचलन में मुद्रा (सीआईसी) तथा आरक्षित निधि (एम0) में तेजी से बदलाव हुआ तथा ये धनात्मक स्तर पर पहुंच गई तथा पिछले वर्ष की संगत वृद्धि दर की तुलना में उच्च स्तर पर आ गई। 29 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार एम0 में 55.9 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष

की इसी अवधि के दौरान 28.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ऐसा मुख्य रूप से परिचालन में स्थित मुद्रा (सीआईसी) में वृद्धि (80.4 प्रतिशत, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 40.2 प्रतिशत की कमी आई थी) के कारण हुआ (सारणी 2); परिचलन में मुद्रा विमुद्रीकरण के पूर्व की स्थिति तुलना में 94.19 प्रतिशत दर्ज की गई (चित्र 2)।

3.3 स्रोत पक्ष से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एम0 में वृद्धि एलएएफ रिवर्स रेपो (निवल) में कमी द्वारा तथा आरबीआई की निवल विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि द्वारा प्रेरित हुई है। तथापि, सरकार को आरबीआई द्वारा दिए गए निवल ऋण में खुले बाजार में निवल बिक्री तथा साथ ही सरकारी जमा में वृद्धि के कारण कमी आई है।

चित्र 1: आरक्षित निधि में वर्षानुवर्ष वृद्धि (%)—मासिक रुझान




स्रोत: आरबीआई

3.4 एम 3 में विमुद्रीकरण के बाद वर्षानुवर्ष वृद्धि की दर मंद हुई है किंतु एम0 में हुई कमी की तुलना में यह धनात्मक स्तर पर है। इसका कारण यह है कि जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में आई कमी सकल जमा राशि में वृद्धि द्वारा अंशतः संतुलित हो गई। वर्ष 2017-18 के दौरान विस्तृत मुद्रा (एम 3) में वर्षानुवर्ष वृद्धि में तेजी आई, जिसकी मुख्य रूप से सितंबर अंत, 2017 से शुरुआत हुई तथा पहली बार 24 नवंबर 2017 को इसमें पिछले वर्ष की


तुलना में वृद्धि हुई जो अनुकूल आधार प्रभाव को दर्शाती है (चित्र 3)। इसी तारीख को सीआईसी और एम 3 का अनुपात 12.6 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 9.8 प्रतिशत था। स्रोत पक्ष से, हालांकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए ऋण में धीमी गति से हुई वृद्धि 2017-18 से अब तक की अवधि के दौरान एम 3 में वृद्धि हुई है।

चित्र 2: चरम स्थिति के प्रतिशत के रूप में परिचलन में स्थित मुद्रा (सीआईसी)



स्रोत: आरबीआई


चित्र 3: विस्तृत मुद्रा में वर्षानुवर्ष वृद्धि (%) - मासिक रुझान



स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी*: दिसंबर से संबंधित आंकड़े 22 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार हैं।

चित्र 4: दैनिक नकदी प्रबंधन और टी बिल विस्तार*



स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी *: टी बिल विस्तार=रेपो दर घटा 91-डे ट्रेजरी बिल (प्राथमिक) उपार्जन।


नकदी की स्थिति और इसका प्रबंधन

3.5 नवंबर 2016 के आरंभ में विमुद्रीकरण के बाद रिज़र्व बैंक ने पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों लिखतों का प्रयोग करके अपनी नकदी आभेदन संक्रियाओं में वृद्धि कर दी। नकदी की स्थिति अधिशेष रूप से बनी रही हालांकि उत्तरोत्तर पुनः मुद्रीकरण के कारण इसकी उपलब्धता स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती गई। एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक निवल नकदी अवशोषण दर मार्च 2017 के 419 हजार करोड़ रु. से उत्तरोत्तर घट कर नवंबर 2017 में 66 हजार करोड़ रु. के स्तर पर पहुंच गई। एलएएफ के अतिरिक्त, ₹ 100 हजार करोड़ की अतिरिक्त नकदी को अप्रैल-मई 2017 के दौरान बाजार बिक्री योजना (एमएसएस) के तहत ट्रेजरी बिल (टीबी) जारी करते हुए आभेलित किया गया

था। अतिरिक्त नकदी की चिरस्थाई दशाओं के फलस्वरूप जुलाई से नवंबर, 2017 के दौरान ₹ 90 हजार करोड़ की ओएमओ बिक्री हुई, जिसमें जुलाई-अक्तूबर, 2017 के दौरान प्रतिमाह प्रत्येक में ₹ 10 हजार करोड़ की दो ओएमओ बिक्री नीलामियां तथा नवंबर 2017 में एक ओएमओ बिक्री नीलामी हुई। इन उपायों के परिणामस्वरूप, निवल नकदी 31मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 3.1 लाख करोड़ के आधिक्य से घटकर 11 जनवरी, 2018 को ₹ 47.8 हजार करोड़ रह गई (चित्र 4)।

3.6 वर्ष 2017-18 के पूर्वाद्ध के लिए, भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) रिवर्स रेपो दर के करीब थी, परंतु हाल ही के महीनों में यह नीति की घट-बढ़ सीमा (कोरीडोर) के मध्य में पहुंच गई। (चित्र 5)

चित्र 5: नीति की घट-बढ़ सीमा और काल दर (प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई

सरकारी प्रतिभूति (जी-सिक्क्यु.) बाजार में परिवर्तन

3.7 2017-18 के दौरान (11 जनवरी 2018 तक), 10-वर्षीय सामान्य जी-सिक्क्यु. उपार्जन की गति की दिशा काफी बदली है (चित्र 6)। अप्रैल 2017 में, मौद्रिक नीति समिति की 20 अप्रैल, 2017 की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने के बाद, जिसमें कि मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों की ओर स्पष्ट रूप से संकेत किया गया था और जिसे बाजार ने बहुत अति उत्साहपूर्ण माना था, जी-सिक्क्यु. में मध्यम परंतु सख्ती के रुझान के साथ व्यापार देखने में आया। तथापि, जी-सिक्क्यु. उपार्जन 12 मई, 2017 के बाद एकदम कम हो गया जो मुख्य रूप से नए बेंचमार्क की प्रतिभूति की नीलामी के कारण और अप्रैल 2017 में मुद्रास्फीति के अपेक्षित दर से भी कम होने के कारण हुआ। मई 2017 और जुलाई 2017 के बीच, आर्थिक आंकड़ों नामतः निम्न मुद्रास्फीति, मानसून का सकारात्मक पूर्वानुमान और जून, 2017 में मौद्रिक नीति के शांत रवैये आदि के उम्मीद से बेहतर होने के कारण जी-सिक्क्यु. में व्यापार नरम रुझान के साथ हुआ। उपार्जन में नरमी को एफपीआई के सुदृढ़ आगमन से और अधिक सहारा मिला।


3.8 बाद में, मध्य जुलाई से 17 नवंबर 2017 तक, उत्पादन की लय मुख्यतः वैश्विक कारकों पर निर्भर रही और इसमें अमरीका में सख्त रुझान देखने में आया। इसके अतिरिक्त,

घरेलू कारकों जैसेकि उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति, ओएमओ बिक्री के माध्यम से प्रतिभूतियों की अतिरिक्त आपूर्ति, तेल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ते सरकारी उधारों ने उपार्जन को बढ़ाने में विशेष बल प्रदान किया। तथापि मूडी द्वारा भारत की स्वदेशी रेटिंग को प्रोन्नत करने के कारण, 10-वर्षीय जी-सिक्क्यु. उपार्जन कुछ समय के लिए घट कर 20 नवंबर 2017 को 7.10 प्रतिशत रह गया, परंतु यह बाद में बढ़ गया। 11 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार जी-सिक्क्यु. उपार्जन 7.26 प्रतिशत पर आ गया।

बैंकिंग क्षेत्र


3.9 बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निष्पादन वर्तमान वित्त वर्ष में निरंतर हल्का बना रहा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2017 और सितंबर 2017 के बीच 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया, जबकि उनका पुनःसंरचित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात 2.5 प्रतिशत से घटकर 2.0 प्रतिशत रह गया। स्ट्रेस्ड (जोखिमपूर्ण) अग्रिम अनुपात इसी अवधि में 12.1 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 12.2 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात मार्च और सितंबर 2017 के बीच 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 13.5 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों

चित्र 6: 10 वर्ष का जी-सिक्क्यु. उपार्जन (प्रतिशत)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चित्र 7: बैंक क्रेडिट वृद्धि (%) का क्षेत्रवार विवरण-मासिक रुझान



स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: ए एंड ए: कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, पीएल: वैयक्तिक ऋण

का स्ट्रेस्ड (जोखिमपूर्ण) अग्रिम अनुपात इसी अवधि में 15.6 प्रतिशत से बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गया।

3.10 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम-भारित आस्ति के बीच का अनुपात (सीआरएआर) मार्च, 2017 और सितंबर 2017 के बीच 13.6 प्रतिशत से बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) में हुआ सुधार था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आस्तियों पर प्रतिफल (लाभ) (आरओए) मार्च 2017 और सितंबर 2017 के बीच 0.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा जबकि इक्विटी पर उनका प्रतिफल (रिटर्न) 4.3 प्रतिशत से घटकर 4.2 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने मार्च 2016 से निरंतर ऋणात्मक लाभपरक

अनुपात दर्ज किए हैं।

ऋण (क्रेडिट) वृद्धि

3.11 नवंबर 2017 में गैर खाद्य क्रेडिट (एनएफसी) में पिछले वर्ष नवंबर 2016 के 4.75% की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 8.85 प्रतिशत वृद्धि हुई। सेवाओं और निजी ऋण (पीएल) खंड को बैंक क्रेडिट उधार, समग्र एनएफसी वृद्धि में निरंतर बड़े भागीदार बने रहे। (चित्र 7) क्रेडिट (ऋण) वृद्धि अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2017 तक लगातार ऋणात्मक रहने के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में अंततोगत्वा काफी बढ़ गई। तथापि, मध्यम उद्योगों को क्रेडिट की वृद्धि जून 2015 से ऋणात्मक रही है। (सारणी 3)

सारणी 3: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन (वर्षानुवर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017	नवंबर 2017
उद्योग	20.7	15.1	12.8	5.6	2.6	-1.9	0.1
सूक्ष्म एवं लघु	12.6	20.2	23.6	8.2	-2.3	-0.5	4.6
मध्यम	7.1	-0.1	-2.7	2.6	-7.8	-8.7	-8.3
वस्त्र	9.9	15.1	10.2	-0.2	1.9	-4.6	4.6
अवसंरचना	20.8	15.9	14.6	10.5	4.4	-6.1	-2.3

स्रोत: आरबीआई

बॉक्स 3.1 नई शोधन-अक्षमता एवं दिवालियापन व्यवस्था

शोधन-अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) मई, 2016 में पारित की गई थी। पिछली आर्थिक समीक्षा जारी होने के समय यह नई व्यवस्था अपने शुरुआती दिनों में ही थी। यह विनियामक हाल ही में नियुक्त किया गया था तथा कंपनी शोधन-अक्षमता/परिसमापन विनियामक नियमों तथा शोधन अक्षमता पेशेवरों, जो ऐसे कारोबार का संचालन कर सकते थे, के प्रमाण सहित आधारभूत पारिस्थितिक-तंत्र को नए सिरे से सृजित किया गया था।

तब से लेकर इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है—कंपनी दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) का संपूर्ण कार्यतंत्र तैयार किया गया है। संबंधित कार्य की प्रक्रिया हेतु आवश्यक संस्थाओं तथा पेशेवरों के सृजन के लिए कई नियम एवं विनियम अधिसूचित किए गए हैं। बहुत से मामले इस दिवालियापन प्रक्रिया में शामिल हुए हैं तथा कुछ ही इस प्रक्रिया से बाहर भी निकल चुके हैं।

1300 से अधिक शोधन-अक्षमता पेशेवर पंजीकृत हुए (तीन शोधन-अक्षमता पेशेवर एजेंसियों के अधीन) हैं। पहली सूचना उपयोगिता ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया है। सभी राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) बैंचों¹ में कंपनी शोधन-अक्षमता के 525 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही 108 स्वेच्छयां परिसमापन प्रक्रियाएं भी प्रारंभ हुई हैं। (सारणी 1 और सारणी 2 देखें)

सारणी 1: कंपनी शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया हेतु दर्ज हुए मामलों की स्थिति

क्र.सं.	मामले की स्थिति	मामलों की संख्या
1	सीआईआरपी जारी है	442
	30 दिन से कम समय से	33
	30 से 150 दिन से	225
	150-180 दिन से	67
	180 दिन से अधिक से	117
2	समाधान योजना अनुमोदित	10
3	परिसमापन किया जा रहा है	30
4	दर्ज होने के पश्चात् निरस्त किए गए	36
	कुल	525

स्रोत: आईबीबीआई

टिप्पणी*: कुछ कंपनियों के लिए, अभी आदेश प्रतीक्षित हैं, अतः कुल योग सटीक नहीं हो सकते।

सारणी-2: आईबीसी, 2016 के अंतर्गत दर्ज मामलों का क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	अशोधित राशि (करोड़ रु.)		कंपनियों की संख्या			
		सीआईआरपी प्रगति पर	समाधान योजनाएं स्वीकृत	समापन आदेश पारित	अपील/समीक्षा के बाद	कुल	
1	इस्पात	57,001	39	2	3	1	45
2	खुदरा (रिटेल)	12,719	12				12
3	व्यापार (ट्रेडिंग)	4,785	14		2	1	17
4	वस्त्र	4,679	29		3	1	33
5	व्यापार (ट्रेडिंग)	4,560	30	3	4	2	39
6	रसायन संबंधी (कैमिकल्स)	4,433	18			1	19
7	पूंजीगत वस्तुएं-वैद्युत उपकरण	4,292	2				2
8	निर्माण	4,004	35		1	4	40
9	कम्प्यूटर शिक्षा	2,909	1				1
10	खनन एवं खनिज उत्पाद	2,700	10	1	1	1	13
11	अन्य (अवसंरचना, ऊर्जा आदि)	26,727	261	4	16	23	304
	कुल	1,28,810	451	10	30	34	525

स्रोत: आईबीबीआई

¹ यह ब्यौरा 31 दिसंबर 2017 तक की याचिकाओं के लिए एनसीएलटी की वेबसाइट पर 6 जनवरी या उससे पूर्व अपलोड किए गए आंकड़ों से प्राप्त किया गया है।

सारणी-3: ऐसी कंपनियां, जिन्होंने आईबीसी के अंतर्गत संकल्प किया है

कर्जदार कंपनी का नाम	क्या बीआइ. 'एफआर के पंजीकृत थे	दिवालियापन प्रारंभ होने की तिथि	एनसीएलटी समाधान स्वीकृति	किस द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की गई	एफसी के कुल दावे	दिवालिया. पन की मूल्य राशि	समाधान की राशि एफसी	एफसी के लिए वसूली %	शोधन दिवा. लिया राशि का %
साइनेर्जीज डूट ऑटोमोटिव लि.	हां	23-जन-17	02-अग.-17	सीडी	972.2	8.2	54.7	6%	669%
श्री मेटालिक लि.	उपलब्ध नहीं	30-जन-17	07-नवंबर-17	एफसी	1,287.20	283	607.3	47%	215%
कामिनेनी स्टील एंड पावर इंडिया प्रा.लि.	हां	10-फर.-17	27-नवंबर-17	सीडी	1,508.90	761	600	40%	79%
छपरिया इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	हां	24-फर.-17	22-सितं.-17	सीडी	49.8	17.2	20.6	41%	120%
जेक्पल प्रा.लि.	उपलब्ध नहीं	17-मार्च-17	15-दिसं.-17	सीडी	599	222.1	162	27%	73%
होटल गौडावन प्रा.लि.	उपलब्ध नहीं	31-मार्च-17	13-दिसं.-17	एफसी	76.7	36.1	44.2	58%	122%
प्रोवेस इन्टरनेशनल प्रा.लि.	उपलब्ध नहीं	20-अप-17	17-अक्टू.-17	ओसी	3.4	उपलब्ध नहीं	3.4	100%	उपलब्ध नहीं
वैस्ट बंगाल एस्सेशियल कोमो. डिटीज	उपलब्ध नहीं	29-मई-17	20-नवंबर-17	एफसी	359.2	उपलब्ध नहीं	185.8	52%	उपलब्ध नहीं
शिरडी इन्डस्ट्रीज लि.	हां	18-मई-17	12-दिसं-17	सीडी	673.9	103.1	175	26%	170%
नंदन होटल्स लि.	उपलब्ध नहीं	17-अग.-17	14-दिसं-17	ओसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1.4	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत: आईबीबीआई

टिप्पणियां: सभी राशियां करोड़ रु. में हैं। एफसी: वित्तीय देनदार

इन समाधान आदेशों को एनसीएलटी ने निरस्त कर दिया है की पहचान की है।

नई संहिता (नियम) के प्रभावोत्पादक होने का प्रमुख पहलू न्याय व्यवस्था का न्याय-निर्णय रहा है। इस संहिता में इसके अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है। पूरे भारत में एनसीएलटी बैंचों को भेजे गए मामलों की अधिक संख्या होने के बावजूद, ये बैंचों केवल कुछ विलंब के साथ सीआईआरपी में दर्ज करने के लिए आवेदनों को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने में सक्षम रही हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीएलटी, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय सहित अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलों का त्वरित तथा निर्णयात्मक रूप से निपटान किया है। इस प्रक्रिया में मामलों से संबंधित एक पुष्ट कानून विकसित हुआ है जिसमें भावी कानूनी अनिश्चितता में कमी आई है।

13 जून, 2017 को आरबीआई ने ऐसे स्थानों, जहां शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) आरंभ की गई थी, वहां 12 बड़े ऋण चूककर्ताओं की पहचान की है। नवंबर, 2017 तक इन 12 चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति, नीचे तालिका 4 में दर्शाई गई है:

सारणी 4: आरबीआई द्वारा यथा अधिसूचित पहले 12 चूककर्ता

क्र.सं.	कंपनी	क्षेत्र	दर्ज दावे (करोड रु)	180 दिवसीय अवधि अवधि	सीआईआरपी की स्थिति
1	आलोक इंडस्ट्रीज लि.	वस्त्र	29,912	14-01-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
2	एमटेक ऑटो लि.	ऑटो कंपोनेंट	12,586	20-01-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
3	एबीजी शिपयार्ड लि.	शिप बिल्डिंग	18,539	28-01-2018	सीओसी में 90 दिन के विस्तार को अनुमोदित कर दिया
4	भूषण स्टील लि.	स्टील (इस्पात)	55,989	22-01-2018	प्रक्रिया में है
5	भूषण पॉवर एंड स्टील लि.	इस्पात एवं विद्युत निर्माण	48,524	22-01-2018	22 अप्रैल तक विस्तार
6	इलैक्ट्रोस्टील स्टील	इस्पात (स्टील)	13,302	16-01-2018	17 अप्रैल तक विस्तार
7	एस्सार स्टील लि.	इस्पात (स्टील)	50,778	29-01-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
8	ज्योति स्ट्रक्चर लि.	विद्युत निर्माण	8,078	31-12-2018	31 मार्च 2018 तक विस्तार
9	जेपी इंफ्राटेक लि.	अवसंरचना निर्माण	13,322	04-02-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
10	लांको इंफ्राटेक लि.	विद्युत निर्माण	51,505	03-02-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
11	मोनेट इसपैट एंड एनर्जी लि.	इस्पात	10,412	13-01-2018	90 दिन के विस्तार के लिए लागू
	कुल		3,12,947		

स्रोत: आईबीबीआई

टिप्पणी: इरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि. को सीआरआरपी द्वारा अंगीकार नहीं किया गया है।

बाक्स 3.2: शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2017

लोकसभा ने दिसंबर 29, 2017 को शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2017 को पारित किया और राज्य सभा ने इसे जनवरी 2, 2018 को स्वीकार किया है। यह नवंबर 23, 2017 को जारी आईबीसी (संशोधन) विधेयक, 2017 विषयक अध्यादेश का स्थान ले रहा है।

कंपनी शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में, लेनदारों की समिति (सीओसी) समाधान में अग्रणी आवेदकों से समाधान योजनाएं आमंत्रित करती है तथा वे इनमें से एक योजना का चयन कर सकते हैं। यह संहिता समाधान आवेदकों पर कोई पाबंदी विनिर्दिष्ट नहीं करती है। इस अध्यादेश में कुछ व्यक्तियों के समाधान आवेदक बनने पर पाबंदी लगाई गई है:

- (i) कोई अमुक्त दिवालिया
- (ii) कोई "जानबूझकर चूक करने वाला"
- (iii) एक ऐसा उधारकर्ता जिसके खाते को एक वर्ष से अधिक समय के लिए एक अनर्जक आस्ति के रूप में चिन्हित किया गया है; और जिसने योजना प्रस्तुत करते समय तक देनदारी नहीं चुकाई है।
- (iv) कोई व्यक्ति जिसे दो अथवा दो से अधिक वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय किसी अपराध का दोषी माना गया है;
- (v) कोई व्यक्ति जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक निदेशक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है;
- (vi) कोई व्यक्ति जिसे प्रतिभूतियों में व्यापार से प्रतिबंधित किया गया हो;
- (vii) कोई व्यक्ति जो अवमूल्यित अथवा कार्य करने वाली कंपनी का संस्थापक/प्रबंधक रहा हो।
- (viii) कोई व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति, जो समाधान प्रक्रियारत किसी चूककर्ता का लेनदार हो, के पक्ष में कोई प्रवर्तनीय गारंटी कार्यान्वित की है;
- (ix) ऊपर उल्लिखित किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति।
- (x) कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर इनमें से किसी गतिविधि में शामिल हो।

इस विधेयक का प्रमुख आग्रह विभिन्न प्रकार के अवांछनीय व्यक्तियों को देनदार (ऋणी) के लिए बोली लगाने से रोकना है। यह अध्यादेश, प्रवर्तकों को उनकी स्वयं की फर्मों के लिए बोली लगाने से रोक सकता है। एक समाधान योजना में वित्तीय तथा परिचालनात्मक लेनदारों (ऋणदाताओं) पर उल्लेखनीय कटौतियां विशिष्ट रूप से शामिल होती हैं। इस प्रकार, बिना किसी पाबंदी के किसी प्रवर्तक को बोली की अनुमति देने का आशय होगा कि एक ऐसी स्थिति का समर्थन करना जहां कोई मालिक, जिसने किसी फर्म को दिवालिया बना दिया हो, अब वह छूट प्राप्त कर पुनः इसे वापस खरीदने में सक्षम हो गया हो। यह नैतिक संकट को एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा सकती है जहां अक्षम अथवा धोखेबाज प्रवर्तकों को अपनी कंपनी के नियंत्रण के साथ प्रभावी रूप से परितोषित किया जाता है और लेनदारों ऋणदाताओं को अपने ऋण बट्टे खाते में डालने के लिए छोड़ दिया जाता है।

इस प्रकार इस बिल में एक संतुलित दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया गया, जिससे सीओसी सभी आवेदकों में से सर्वोत्तम समाधान योजना का चयन करने की अपनी स्वतंत्रता रखते हुए भी अविवेकपूर्ण संव्यवहारों से बच सकें।

गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

3.12 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) वित्तीय क्षेत्र में विविधता और कार्य दक्षता लाती हैं और इसे ग्राहकों की जरूरतों के प्रति अधिक अनुक्रीयशील बनाती है। पीयर टु पीयर (पी2पी) और अकाउंट अग्रीगेटर एनबीएफसी की नई श्रेणियां हैं जिन्हें हाल ही में शुरू किया गया है। छोटे ऋणदाताओं और छोटे उधारकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष सहक्रिया के जरिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उपभोक्ता संरक्षण के सहबद्ध मुद्दों का समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी-पी-टु-पी (एनबीएफसी-पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफार्म) नामक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की नई श्रेणी शुरू की है, जिसमें साधारण स्तर का विनियमन है तथा पर्याप्त प्रकटनों पर जोर दिया गया है।

3.13 समग्र तौर पर एनबीएफसी क्षेत्र के पास 30 सितम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार बैंक आस्तियों का 17% और बैंक जमा राशियों का 0.26% जमा था। एनबीएफसी क्षेत्र के समेकित तुलनपत्र के आकार में 5% वृद्धि हुई (मार्च 2017 की तुलना में सितम्बर 2017) और यह 20.7 लाख करोड़ के स्तर पर जा पहुंची, जबकि मार्च 2016 और मार्च, 2017 के बीच 14.2% वृद्धि हुई थी। एनबीएफसी अपने तुलनपत्रों के वित्तपोषण के लिए मुख्यतः जनता की निधियों पर निर्भर करते हैं। सितम्बर अंत 2017 की स्थिति के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के जरिए लिए गए उधारों में 3.1% वृद्धि देखी गई जबकि 2016-17 में 19.8% वृद्धि हुई थी, वहीं वर्ष के पूर्वार्ध में बैंक उधारों में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जहां (मार्च 2017 से सितम्बर 2017) 2016-17 के दौरान 7.0% की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। आस्तियों के संबंध में, 2017-18 के पूर्वार्ध में ऋणों एवं अग्रिमों में 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि

यह आंकड़ा 2016-17 के दौरान 12.7% था।

3.14 एनबीएफसी क्षेत्र के पूंजी एवं जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में मामूली गिरावट हुई, जो 31 मार्च, 2017 के 22.8% से कम हो कर सितम्बर अंत 2017 को 22.5% के स्तर पर आ गया। एनबीएफसी क्षेत्र का सकल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिमों का %) 31 मार्च 2017 के 6.1% से कम होकर सितम्बर, अंत 2017 को 5.5% के स्तर पर आ गया। निवल एनपीए (निवल अग्रिमों का अनुपात) भी 31 मार्च 2017 के 4.1% से कम होकर सितम्बर 2017 में 3.4% के स्तर पर आ गया। इस क्षेत्र की आस्तियों पर आय (आरओए) मार्च अंत 2017 के 1.6% की तुलना में बढ़कर सितम्बर अंत 2017 को 2.0% के स्तर पर आ गई। इक्विटी पर आय (आरओई) मार्च अंत 2017 के 7.0% के स्तर से काफी अधिक बढ़कर सितम्बर अंत 2017 को 9.0% (वार्षिकीकृत) के स्तर पर पहुंच गई।

पूंजी बाजार में घटनाक्रम

प्राथमिक बाजार

3.15 वर्ष 2017-18 (अप्रैल से नवम्बर) में पिछले वित्त वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में प्राथमिक बाजार खंड में संसाधन जुटाए जाने में लगातार वृद्धि देखी गई। वर्ष (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान 134 कंपनियों ने प्राथमिक बाजार के जरिए 70,316 करोड़ रु. जुटाए, (जबकि वित्त वर्ष 2016-17 की तदनु रूप अवधि में 80 निर्गमों के माध्यम से 48,325 करोड़ रु. जुटाए गए थे) जो पिछले वर्ष की तुलना 45.5% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान 122 सार्वजनिक निर्गमों से 66,641 करोड़ रु. जुटाए गए और 12 राइट्स निर्गमों से 3,675 करोड़ रु. जुटाए गए (सारणी-4)।

सारणी 4. सार्वजनिक और राइट्स निर्गम के माध्यम से प्राथमिक बाजार से संसाधन संग्रहण (रु. करोड़)

निर्गम के प्रकार	2016-17 [#]		2017-18 [#]	
	निर्गमों की सं.	राशि	निर्गमों की सं.	राशि
सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी)	65	23,134	118	62,745
राइट्स निर्गम (इक्विटी)	5	1,297	12	3,675
कुल (इक्विटी)	70	24,431	130	66,420
सार्वजनिक निर्गम (इक्विटी)	10	23,893	4	3,896
कुल	80	48,325	134	70,316

स्रोत: सेबी

टिप्पणी: [#]संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल-नवंबर का संकेत करता है।

सारणी 5. म्यूचुअल फण्डों के द्वारा बाजार संसाधन संग्रहण (रु. करोड़)

वित्तीय वर्ष	फोलियो सं.	सकल संग्रहण	मोचन	निवल प्रवाह	अवधि की समाप्ति पर आस्तियां
2016-17	5,53,99,631	1,76,15,549	1,72,72,500	3,43,049	17,54,619
2017-18 [#]	6,31,65,739	1,18,83,698	1,16,30,549	2,53,149	21,41,346

स्रोत: सेबी

टिप्पणी: [#]31 अक्टूबर, 2017 तक

सारणी 6: कारपोरेट क्षेत्र द्वारा कुल संसाधन संग्रहण (रुपए करोड़)

वर्ष	इक्विटी निर्गम			डेब्ट निर्गम			कुल संसाधन संग्रहण (47)
	सार्वजनिक और राईट	प्राइवेट प्लेसमेंट	कुल इक्विटी	प्राइवेट	प्राइवेट प्लेसमेंट	ऋण कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
अप्रैल 2016-नवम्बर 16	24,429	31,319	55,748	23,901	4,19,387	4,43,288	4,99,036
अप्रैल 2017-नवम्बर 17	66,424	78,344	1,44,767	3,897	4,18,952	4,22,848	5,67,615

स्रोत: सेबी

टिप्पणी*: 1. इक्विटी के किसी निर्गम में अधिमान आवंटन क्यूआईपी तथा आइपीपी के जरिए उगाही गई राशि शामिल है।


2. सरकारी इक्विटी निर्गम में आइपीओओ (एफपीओ) दोनों शामिल हैं।

3.16 भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में भी अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2017 के दौरान मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। समग्र तौर पर अच्छी बाजार स्थितियों के परिणामस्वरूप नए निवेश के संदर्भ में और मौजूदा निवेशों के मूल्य के संदर्भ में म्यूचुअल फंड उद्योग के एयूएम में सतत वृद्धि देखी गई (सारणी-5)

3.17 कोरपोरेट बांडों के निर्गमन (सार्वजनिक निर्गम और निजी नियोजन) के जरिए संसाधन जुटाने में वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की

तुलना में तेजी से वृद्धि हुई और 4.23 लाख करोड़ रु. जुटाए गए। कोरपोरेट बांड बाजार में निजी नियोजनों का प्रभुत्व बना रहा (सारणी-6) तथापि यह उल्लेखनीय है कि कोरपोरेट बांडों के सार्वजनिक और निजी नियोजन के जरिए जुटाए गए संसाधन बैंक ऋण के विकल्प नहीं हैं। बांडों की परिपक्वता अवधि बैंक ऋण की तुलना में कहीं छोटी होती है। साथ ही, यदि बैंक कारपोरेट बांडों का अभिदान करे तो इससे दोहरे लेखांकन की समस्या हो सकती है। इसलिए, बैंक ऋण से इस तरह संसाधन जुटाने की तुलना करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।

चित्र 8: सूचकांक एवं निफ्टी का उतार चढ़ाव



स्रोत: बीएसई एवं एनएसई

अनुषंगी बाजार

3.18 10 जनवरी, 2018 को एसएण्डपी बीएसई संवेदी सूचकांक, बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक 34,433 बिन्दुओं पर बंद हो गया। इस प्रकार 31 मार्च 2017 की 29,621 बिन्दुओं पर बंदी से 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस अवधि के दौरान एसएण्डपीबीएसई सूचकांक ने 9 जनवरी, 2018 को 34,443 बिन्दुओं के अपने उच्चतम मान को छू लिया जबकि 18 अप्रैल 2017 को 29,319 बिन्दुओं पर इसका मूल्य न्यूनतम था। निफ्टी 50, एनएसई का बेंचमार्क सूचकांक 10 जनवरी 2018 को 10,632 बिन्दुओं पर बंद हुआ, इससे 31 मार्च 2017 को 9174 बिन्दुओं पर बंदी से 15.9 प्रतिशत की वृद्धि परिदृष्ट होती है। इस अवधि के दौरान निफ्टी 50 ने 9 जनवरी 2018 को 10,637 बिन्दुओं के उच्चतम मान को छू लिया, जबकि 19 अप्रैल 2017 को इसका न्यूनतम मान 9,105 बिन्दु था।

बीमा क्षेत्र

3.19 बीमा, वित्तीय क्षेत्र का अभिन्न अंग होने की वजह से, भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बीमा क्षेत्र की संभावना और निष्पादन का आकलन दो पैरामीटरों अर्थात बीमा पहुंच व बीमा सघनता के आधार पर किया जाना चाहिए। बीमा की पहुंच को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से एक विशेष वर्ष में प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बीमा सघनता को कुल जनसंख्या (अंतरराष्ट्रीय तुलना की दृष्टि से अमरीकी डालर

में मापित) से एक विशेष वर्ष में प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

3.20 बीमा पहुंच, जो 2001 में 2.71 प्रतिशत थी, बढ़कर 2016 में 3.49 प्रतिशत हो गई (जीवन 2.72 प्रतिशत तथा सामान्य 0.77 प्रतिशत) है। एशिया में कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात मलेशिया, थाइलैंड और चीन में उसी वर्ष अर्थात 2016 के दौरान बीमा पहुंच क्रमशः 4.77, 5.42 तथा 4.15 प्रतिशत थी। वैश्विक स्तर पर बीमा पहुंच एवं सघनता क्रमशः 2016 में जीवन खंड में 3.47 प्रतिशत एवं 353 अमरीकी डालर तथा गैर जीवन खंड के लिए 2.81 प्रतिशत तथा 285.3 अमरीकी डालर थी। भारत में बीमा सघनता, जो 2001 में 11.5 अमरीकी डालर थी, 2016 (जीवन 46.5 तथा सामान्य 13.2) में 59.7 अमरीकी डालर तक बढ़ गई है। मलेशिया, थाइलैंड तथा चीन के लिए इसी अवधि अर्थात 2016 के लिए तुलनात्मक आंकड़े क्रमशः 452.2 अमरीकी डालर, 323.4 अमरीकी डालर तथा 337.1 अमरीकी डालर थे।

3.21 वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य बीमा (भारत में), सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (जीडीपी), 33 प्रतिशत की वृद्धि (2000-01 से उच्चतम) के साथ रु. 130.97 हजार करोड़ था। फसल बीमा, मोटर बिक्री, स्वास्थ्य बीमा आदि से इस उद्योग की वृद्धि में मदद मिली। जीवन बीमा उद्योग ने पूर्व वित्त वर्ष में 367 हजार करोड़ रु. की तुलना में रु. 418 हजार करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की, जो 14.04 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।